छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 20 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) में संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा में निम्नानुसार अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तर्था प्रारंभ.

- . (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) कहा जा सकेगा.
 - (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियंत करे

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ङ ङ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अध्याय-सात तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1972) के अध्याय-बारह के अधीन सक्षम प्राधिकारों के कृत्यों का पालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए प्राधिकृत करे जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये और वह ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा पद धारण किए हुए हो या जिसने ऐसा पद धारण किया हो जो डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से या प्राधिकरण के अधीन कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो.

धारा 37 (1) में लोप.

3. मूल अधिनियम की धारा 37 (1) में शब्दों—

''ऐसे विकास के पांच वर्ष के भीतर'' का लोप किया जाए.

धारा 38-क का अंतः स्थापन 4. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :---

छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन.

38-क (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी.

(2) विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने, एक या अधिक आवासीय तथा नगर विकास स्कीमें तैयार करने और उस क्षेत्र के, जो उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, विस्तार, आवासीय निर्माण तथा सुधार के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने तथा उसका विकास करने का कर्तव्य, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण में निहित होगा.

5. मूल अधिनियम भी धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा 39-क का अंतः स्थापन

39-क छत्तीरागव आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण धारा 38-क के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकारों होगा. उसकी एक समान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा श्यावर होनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये कि ही निगमों के उपयन्थों के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति को अंतरित करने, संविदा करने तथा प्रेशी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण का निगमन

6. मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा 40-क का अंतः स्थापन

40-क (1) छत्तीसगद् आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :--

क्रमीसगढ़ आवास एवं जगरीय, विकास प्राधिकरण का गठन

- (क) अध्यक्ष;
- (ख) एक या अधिक उपाध्यक्ष;
- (ग) सदस्यों की ऐसी संख्या जो कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे.
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी.
- (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदाविध ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.
- (4) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन तथा शर्ते ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.
- (5) सदस्य किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे किन्तु वे ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे की विहित किए जाएं.
- 7. 40-ख मूल अधिनियम के अध्याय-सात में धारा 40-क के पश्चात् 63-क तक जहां कहीं भी शब्द ''नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी'' आया है वहां ''अथवा छत्तीसगढ़ आवास तथा नगरीय विकास प्राधिकरण'' को जोड़ा जावे.

धारा 40-ख का अंत: स्थापन

8. मूल अधिनियम की धारा 46 की उप धारा (2) में "विकास प्राधिकरण की सेवा के राज्य संवर्ग के सदस्यों में से या यदि आवश्यक हो तो राज्य तकनीकी/प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों में से" का लोप किया जावे.

धारा 46 (2) में लोप.

9. मूल अधिनियम की धारा 63-क के अंत में निम्न शब्द जोड़े जावें :-

धारा 63-क में संशोधन.

''प्राधिकरण का एक या एक से अधिक, जैसा प्राधिकरण नियत करे, सक्षम प्राधिकारी होगा, जिसमें इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियां निहित होंगी.''

10. मूल अधिनियम की धारा 63-क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जावे, अर्थात् :—

धारा 63-ख का अंतः

सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकरण के परिसर में अधिभोगी को बेदखल करने की वही शक्तियां उसी रीति एवं परिस्थितियों पर होंगी जैसा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1972) की धारा-55 में वर्णित है

प्राधिकरण के परिसरों से व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति. अपील.

धारा 63-ग का अंत: स्थापन 11. 63-ग (1)

धारा 63-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से एक मास के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा;

परन्तु राज्य सरकार एक मास की उक्त कालावधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणवश समय पर अपील फाइल नहीं कर सका था.

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जैसा कि आवश्यक हो, करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे कि वह उचित समझे तथा राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा.

धारा 63-घ का अंतः स्थापन. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन. 12. इस अध्याय द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, यथा स्थिति, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश प्रदान नहीं किया जायेगा.

धारा 63-ङ का अंतः स्थापन

प्राधिकरण आदि के विरुद्ध वाद की सूचना.

- 13. प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, या विनियम या उपविधि के अधीन किया गया हो या जिसका उस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि वाद हेतु, इच्छुक वादी के नाम तथा निवास स्थान का तथा उस अनुतोष का, जिसका की वह दावा करता हो, कथन करने वाली लिखित सूचना प्राधिकरण के कार्यालय में या अध्यक्ष, ऐसे अधिकारी, या सेवक या व्यक्ति के निवास स्थान पर परिदत्त कर दी जाने या छोड़ दी जाने के ठीक पश्चात् आने वाले 60 दिवस समाप्त न हो गये हों, और वाद पत्र में यह कथन अंतर्विष्ट होना चाहिए, की ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है.
 - ''यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा शुक्रवार दिनांक, 22 मार्च 2002 को पारित किया गया.''

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

STEEL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

क्रमांक 3166/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव

CHHATTISGARH ACT (No. 20 of 2002)

CHHATTISGARH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act to further amend the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan).
Adhiniyam, 2002 (No. 20 of 2002).

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoints.
- 2. After clause (e) in section 2 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) the following clause shall be inserted namely:—

Insertion of definition (e.e.) in Section-2.

(e.e.) "Competent authority" means any person authorized by the State Government, by notification, to perform the functions of the competent authority under Chapter-VII and under Chapter-XII of Chhattisgarh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1972) for such area as may be specified in the notification and shall be a person who is holding or has held an office, not lower in rank than that of a Deputy Collector, or Executive Engineer under the Authority.

3. In section 37 (1) of the Principal Act the words "within five years of such development", shall be omitted.

Omission in Section 37(1).

4. After section-38 of the Principal Act the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 38-A.

38-A (1) The State Government may, by notification establish Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh.

Establishment of Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh.

(2) The duty of implementing the proposals in the development plans, housing schemes, preparing one or more town development schemes, acquisition and development of land for the purpose of expansion, constructing houses and improvement of the area specified in the notification under sub-section (1) shall, subject to the provision of this Act vest in the Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh.

5. After section-39 of the Principal Act the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 39-A.

39-A Housing and Urban Development authority of Chhattisgarh shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, both moveable and immoveable and subject to the provisions of this Act or any rules made thereunder, to transfer any property held by it, to contract and to do all other things necessary for the purposes of this Act and may sue and be sued in its corporate name.

Incorporation of Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh. Insertion of Section-40-A.

Constitution of Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh.

- 6. After section-40 of the Principal Act the following sections shall be inserted namely:—
 - 40-A(1) Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh shall consist of :-
 - (a) a Chairman;
 - (b) one or more Vice-Chairman;
 - (c) such number of members, as the State Government may determine from time to time.
 - (2) The Chairman, Vice-Chairmen and the members shall be appointed by the State Government.
 - (3) The term of office of Chairman, Vice-Chairmen and other members shall be such as may be prescribed under the rules.
 - (4) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Vice-Chairmen shall be such as may be prescribed under the rules.
 - (5) The members shall not be entitled to any salary but shall receive such allowances as may be prescribed under the rules.

Insertion of Section 40-B.

7. 40-B In Chapter-VII of the Principal Act after Section 40-A upto Section 63-A wherever the words "Town and Country Development Authority" occur the words "or Housing and Urban Development Authority of Chhattisgarh" shall be added.

Omission in Section

8. In Sub-Section (2) of Section 46 of the Principal Act the words "from amongst the members of the Development authority Service belonging to the State cardre from amongst the members of the State Technical/Administrative Services if necessary" shall be omitted.

Amendment in Sec-

tion 63-A.

9. At the end of Section 63-A of the Principal Act the following words shall be added, namely:—

The Authority may have one or more than one competent authority for specified area, who may be vested with the powers of Tahsildar under this section.

Insertion of Section 63-B.

10. After Section 63-A of the Principal Act, the following Sections shall be inserted, namely:

Power to evict certain persons from Authority premises.

63-B The competent authority shall have the same powers to evict the occupants of the premises of the Authority and in the same manner and contingencies as enumerated in Section-55 of Chhattisgarh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1972).

Insertion of Section 63-C. Appeal. 63-C (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority under section 63-B, may within one month from the date of service of the notice of such order, prefer an appeal to the State Government;

Provided that State Government may entertain the appeal after the expiry of the said period of one month, if it is satisfied that the appealant, was prevented by sufficient cause, from filing the appeal in time.

- On receipt of an appeal under sub-section (1) the State Government may after calling for a report from the competent authority and after making such further enquiry. If any, as may be necessary, pass such orders as it may think fit and the order of the State Government shall be final.
- 12. 63-D The order passed by the State Government or the competent authority, as the case may be, in the exercise of any power conferred by or under this Chapter shall not be called in question in any court and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Chapter.
- 13. 63-E No suit shall be instituted against the authority or any member, or any officer or servant of the authority or any person acting under the direction of the authority, or of the Chairman or any officer or servant of the authority in respect of any act done or intended to be done under this Act or any rule or regulation or bye-law made thereunder until the expiration of sixty days next after written notice have been delivered or left at the Authority's office or the place of the abode of the Chairman such officer or servant or person stating the cause of action, the name and place of abode of the intending plaintiff, and relief which he claims, and the plaint must contain a statement that such notice has been so delivered or left.

Insertion of Section 63-D.

Bar of Jurisdiction of Courts.

Insertion of Section 63-E

Notice of suit against authority.